

फर्द अहकाम

(निगम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

मनभर देवी पत्नी भीवड़ा रेगर नि. जीरा

बनाम

सोहनी पत्नी भागुता भील नि. इन्दोकिया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 648/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
21.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम इन्दोकिया प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 140/4 रकबा 1.1687 हेक्टेयर, आ. न. 152/7 रकबा 1.0522 कुल कित्ता 02 रकबा 2.6709 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम इन्दोकिया प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 140/4 रकबा 1.1687 हेक्टेयर, आ. न. 152/7 रकबा 1.0522 कुल कित्ता 02 रकबा 2.6709 हेक्टेयर स्थित की बसामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

Du
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्र/रीडर/2023/648/2023


दिनांक :- 21.06.2023

मित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 648/2023 अनवान मनभर देवी पत्नी भीवड़ा रेगर नि. जीरा
बनाम सोहनी पत्नी भागुता भील नि. इन्दोकिया, छोटू पिता छोगा रेगर
नि. इन्दोकिया, घीसा पिता हजारी बैरवा नि. इन्दोकिया वगैरा की
पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम इन्दोकिया प. ह.
फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 140/4 रकबा 1.1687 हेक्टेयर, आ. न.
152/7 रकबा 1.0522 कुल किता 02 रकबा 2.6709 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभय पक्षों की
उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अगिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीश्नर नियुक्ति किया
जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा,
उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे
को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)